न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/444

सत्यनारायण आयु 37 वर्ष आत्मज श्री मदन जाति तेली निवासी ग्राम नमाना तहसील व जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. मृतक नन्दा आत्मज भैरू जाति तेली निवासी नमाना जरिये कायममुकामान :—
   1/1. श्रीमती कौशल्या आयु 55 वर्ष बेवा स्व0 नन्दा जाति तेली निवासी ग्राम नमाना तहसील व जिला बून्दी ।
   1/2. दीनू आयु 28 वर्ष आत्मज स्व0 नन्दा जाति तेली निवासी ग्राम नमाना तहसील व जिला बून्दी ।
   1/3. रामचरण आयु 23 वर्ष आत्मज श्री स्व0 नन्दा जी जाति तेली निवासी ग्राम नमाना तहसील व जिला बून्दी ।
   1/4. गायत्री आयु 36 वर्ष पुत्री नन्दा पत्नी अशोक जी जाति तेली निवासी ग्राम बामणगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. रामदेव
3. देवराज
4. प्रकाश पिसरान श्री गणेश जातियान तेली निवासी ग्राम नमाना तहसील व जिला बून्दी ।
5. भूरी बेवा कालू जाति तेली निवासी नमाना तहसील व जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री धीरेन्द्र सिंह चौधरी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 19.08.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम नमाना तहसील एवं जिला बून्दी में खसरा नम्बर 363 रकबा 11 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 919 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 920 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर

921 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 927 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा कुल 05 किता की 17 बीघा 07 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा निहित है । उक्त भूमि वादी के संयुक्त खातेदारी की आराजी है । उक्त आराजी की सहखातेदार छोटा बेवा मदन का देहान्त हो चुका है । शेष सहखातेदार रामदेव, देवराज, प्रकाश पिसरान गणेश व माना बाई बेवा गणेश का उक्त आराजी में 1/3 हिस्सा एवं भूरी बेवा कालू का उक्त आराजी में 1/3 हिस्सा निहित होने से उन्हें प्रतिवादी कम 2 से 6 बनाया गया है । प्रतिवादी संख्या 1 ने चरण संख्या 01 में अंकित आराजी की भूमि खसरा नम्बर 363 रकबा 11 बीघा 01 बिस्वा में निहित वादी के 1/3 हिस्से की आराजी पर जो कि वादी के संयुक्त खातेदारी के अडवा ही वादी की अन्य खातेदारी की भूमि के पास पूर्वी और स्थित है पर जबरन एवं बलपूर्वक कब्जा कर लिया है जिसका प्रतिवादी कम 1 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वादपत्र की चरण संख्या 1 में अंकित आराजी में से खसरा नम्बर 363 रकबा 11 बीघा 01 बिस्वा में वादी के निहित 1/3 हिस्से की आराजी जो कि वादी व अन्य खातेदारान के खाते की अन्य आराजी के अडवा ही पूर्वी ओर स्थित है पर से प्रतिवादी कम 1 को बेदखल किया जावे एवं उक्त आराजी का कब्जा पुनः वादी को संभलाया जावे । प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादी के खाते की एवं 1/3 हिस्से की उक्त आराजी पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर उसका अनुचित उपभोग करने के कारण प्रतिविादी कम 1 से 10,000/– रूपये प्रतिवर्ष प्रति बीघा की दर से क्षतिपूर्ति के रूप में वादी को दिलाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.06.2017 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.06.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट के खाते की भूमि में रेस्पोडेन्ट का कब्जा दावा दायरी के दिनांक से 12 वर्ष पूर्व का है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट का वाद मियाद बाहर मानकर कानूनी त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे में वर्णित अभिकथनों को सही मानकर उनके आधार पर वादी अपीलान्ट का वाद खारिज किया है । रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत तथाकथित इकरारनामे को आधार मानकर बेचान की शर्तो पर काबिज होना मानकर त्रुटि की है जबकि उक्त तथाकथित इकरारनामा रजिस्टर्ड नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री त्रुटिपूर्ण है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया था और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी जो कि वादी के संयुक्त खातेदारी की है में खसरा नम्बर 363 रकबा 11 बीघा 01 बिस्वा में वादी के निहित 1/3 हिस्से की आराजी पर प्रतिवादी कम 1 ने जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर लिया है जिसे बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे । उक्त वाद का प्रतिवादी कम 1

द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया । अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया । पक्षकारान ने कोई राजीनामा पेश नहीं किया, सीपीसी की पालना किये बिना ही लोक अदालत में वादी का वाद खारिज कर दिया । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.06.2017 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया था । प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.03.2010 को जवाबदावा पेश किया । तत्पश्चात् वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.04.2017 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी का पेश किया जिसके जवाब एवं बहस प्रार्थना पत्र में पत्रावली लम्बित थी ओर इसे लोक अदालत में रखा गया और लोक अदालत में न तो पक्षकारान हुए हैं और न ही कोई राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर वादी अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया । लोक अदालत में पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया । सीपीसी की पालना नहीं की गई है ।

10. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्षकारान उपस्थिति होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात पर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट रूप से निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणागवुण के आधार पर निर्णय पारित करना होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए, सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर तनकीवार विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.09.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19.8.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा